न्यायालयः धीरेंद्र सिंह परिहार, उन्नीसवे अति.सत्र न्यायाधीश, जिला ग्वा0, म.प्र.

फाइलिंग नं.	बी.ए./5319/2026
सी.एन.आर.नं.	एम.पी.0701–007503–2026
प्रकरण क्रमांक	**बी.ए/801/2026**
पंजीयन दिनांक	06.04.2026

1. भूरा रजक पुत्र श्री मुन्ना रजक, आयु 36 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नौकरी,

2. सूरज पुत्र श्री रवि रजक, आयु 30 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नौकरी,

निवासीगण– अल्पना टाकिज रोड, तिकोनिया मुरार, जिला ग्वालियर, (म.प्र.)

..... **आवेदकगण**

विरूद्ध

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मुरार जिला ग्वालियर, (म.प्र.)

..... **अनावेदक**

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 08.04.2026)

पुनश्च – 08.04.2026

आवेदकगण द्वारा श्री रवि कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/शासन द्वारा श्री एम.पी.बरूआ अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण थाने से जानकारी प्रस्तुत किये जाने/आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र मुरार जिला ग्वालियर से अपराध क्रमांक – 135/2026 अंतर्गत धारा 109(1), 296(बी), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. की केसडायरी एवं **जानकारी** (**डी. व्ही.आर./सीसीटीव्ही फुटेज** प्राप्त हुई । जिसमें यह उल्लेख है कि अभियुक्तगण से कोई डीव्हीआर या सीसीटीव्ही फुटेज

प्राप्त नहीं हुये है और न ही जब्त किये गये हैं।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदकगण की ओर से धनीराम का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा यह प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि इस जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी समान आशय का आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत हुआ है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव अपील क्रमांक–555/2023 रविश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.सी. नंबर 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में जानकारी निम्नानुसार है :–

1.	आरक्षी केन्द्र का नाम	मुरार
2.	अपराध क्रमांक	135/2026
3.	अपराध जिस धारा के अन्तर्गत दर्ज है	धारा 296(बी), 115(2), 109(1), 3(5) बी.एन.एस इजाफा 25/27 आर्म्स एक्ट
4.	प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	27.03.2026
5.	घटना दिनांक	27.03.2026
6.	गिरफतारी दिनांक	27.03.2026–**सूरज** 28.03.2026–**निर्मल उर्फ भूरा**
7.	अन्वेषण की स्थिति	अभियोगपत्र प्रस्तुत नहीं।

आवेदकगण का आवेदन यह है कि आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना मुरार, जिला ग्वालियर से अपराध क्रमांक – 135/2026 अंतर्गत धारा 109(1), 296(बी), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. असत्य आधारों पर पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक को गिरफतार कर 27.03.2026 को न्यायालय से निरोध में भेज दिया गया। फरियादीगण द्वारा आरोपीगण के घर में घुसकर उनकी मारपीट की, उन्ही में से एक व्यक्ति कालू पांडेय ने गोली से फायर किया जो उन्ही के व्यक्ति को लगा। पूरी रिकार्डिंग सीसीटीवी में रिकार्ड है जो पुलिस ने आरोपीगण से जब्त कर ली और उल्टा केस आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर दिया। आरोपीगण की महिलायें जब थाने पर रिपोर्ट करने गये तो उनकी नहीं सुनी। फरियादी मुरार थाने के कई अपराधों में लिप्त है। आवेदक का अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। आवेदक के फरार होने या उसके माध्यम से अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नही है। आवेदन में आवेदकगण का आपराधिक रिकार्ड नहीं होना लेख किया है। समर्थन में आवेदक द्वारा कमांडेट 39वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पलिया, उ.प्र. द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को दिये गये आवेदन की छायाप्रति पेश की है। अतः जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री एम. पी.बरूआ द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है। थाना की ओर से निवेदन किया गया है कि जमानत दी जाने पर, पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति कर सकते है। साक्षियों को डरा धमका सकते हैं, जमानत पर छोडे जाने पर फरार होने की संभावना है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

फरियादी राजकुमार पांडे की ओर से श्री यश दुबे अधिवक्ता द्वारा मेमो मय आवेदन धारा 301 (2) दप्रस पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अपनी ओर से पैरवी एवं शा.अधिवक्ता को अशिष्ट करने हेतु अभिभाषक को नियुक्त करना चाहता है, अतः अभिभाषक नियुक्त किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया तथाथाना मुरार को ऑन डयूटी मारपीट करने और आफिस पर आकर सारे स्टाफ को गाली गलोज व जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में दिये गये आवेदन की छायाप्रति पेश की। प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को प्रदाय की जाये। बाद

विचार आवेदन अपर लोक अभियोजक को असिस्ट किये जाने की अनुमति तक स्वीकार किया जाता है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार दिनांक 27.03.2026 को दोपहर करीब 02 से 02.30 बजे फरियादी राजकुमार उर्फ कालू पांडे के घर के पास स्थित बीजासेन माता मंदिर पर कैबिनेट साउंड में माता के भजन चल रहे थे तब पप्पी उर्फ मुन्ना रजक उसका लडका निर्मल उर्फ भूरा रजक, सूरज रजक आये बोले मादरचोदो साउंड क्यों बजा रहे हो, इससे दिक्कत हो रही है, उन्होंने कहा कि नवदुर्गा में भजन चल रहे हैं, तुम्हे क्या दिक्कत है। इसी बात पर तीनों फरियादी से, उसके भाई संतोष पांडे, उसके चाचा के लडके आकाश पांडे से मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगे और फरियादी के भाई आकाश और संतोष की लातघूसों से मारपीट कर दी। पप्पी रजक कटटा निकालकर लाया और जान से मारने की नियत से उन लोगों पर फायर किया जिससे उसके भाई संतोष पांडेय के दाहिने हाथ की कोहनी के उपर गोली लगी जिससे चोट होकर खून निकल आया। फरियादी और उसके चाचा का लडका आकाश, पप्पी के नजदीक ही थे पप्पी ने जब फायर किया तो फायर करते समय कटटे से जो बारूद निकला वह उसके भाई आकाश पांडे की बांई तरफ की आंख में लगा और उसके दाहिनी हाथ की सबसे छोटी उंगली में लगा। घटना प्रदीप बाथम, सचिन माथुर, रामू शर्मा ने देखी थी। संतोष पांडे की उक्त सूचना पर से थाना मुरार के अपराध क्रमांक 135/26 अंतर्गत 296(बी), 115(2), 109(1), 3(5) बी.एन.एस के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अभिलेख में अभियुक्तगण का आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

केसडायरी में आवेदकगण व सहअभियुक्त पप्पी उर्फ मुन्ना रजक द्वारा गाली गलोज व विवाद करने और आकाश पांडे और संतोष पांडे के साथ मारपीट करना तथा पप्पी द्वारा घर से कटटा लाकर फायर करने पर संतोष पांडे के गोली लगने और बारूद आकाश पांडे के आंख में लगने की बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में भी संतोष पांडे व आकाश पांडे को चोटें होने का उल्लेख है। राजकुमार पांडे के दाहिने हाथ में चोट का उल्लेख है। इस प्रकार घटना में आहतगण को चोटें आने

का उल्लेख है और गोली मारने का उल्लेख है। आवेदकगण द्वारा गोली चलाये जाने का उल्लेख नहीं है किंतु सहअभियुक्त के साथ मिलकर घटना कारित करने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को देखते हुये आवेदकगण को जमानत पर छोडा जाना उचित दर्शित नही होता है। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केसडायरी वापस की जावे।

आदेश की एक प्रति अभियुक्त/अधिवक्ता को प्रदाय की जावे।

जमानत प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण रिकार्ड रूम भेजा जावे।

सही/–

(धीरेंद्र सिंह परिहार)

उन्नीसवे अति. सत्र न्यायाधीश,

ग्वालियर म.प्र.